न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
71/2022	02.09.2022	11.07.2024

1. सुरेश पुत्र रामसुखा जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0
2. रामसुखा पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0

——प्रार्थी

बनाम

1. हेमराज पुत्र लड्डू जाति बैरवा निवासी बैरवा बस्ती बडौद तहसील खण्डार जिला स0मा0
2. मुथरी पत्नि स्व लड्डू जाति बैरवा निवासी बैरवा बस्ती बडौद तहसील खण्डार।
3. सोमेती पुत्री लड्डू जाति बैरवा निवासी बैरवा बस्ती बडौद तहसील खण्डार जिला स0मा0
4. फोरन्ती पुत्री लड्डू जाति बैरवा निवासी बैरवा बस्ती बडौद तहसील खण्डार जिला स0मा0
5. पदमा पुत्री लड्ड लड्डू जाति बैरवा निवासी बैरवा बस्ती बडौद तहसील खण्डार।
6. उंकार पुत्र कोर्या जाति बैरवा निवासी काछड़ा तहसील खण्डार जिला स0मा0
7. जगदीश पुत्र उंकार जाति बैरवा निवासी काछड़ा तहसील खण्डार जिला स0मा0
8. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री रमेश चन्द गौत्तम एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज0टी0एक्ट 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—

- यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं० 315/19, 310/19 317/19 कुल रकबा 017 बीघा 02 विस्वा एवं वादी सं0 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 320/19 रकबा 02 बीघा 01 विस्वा बकि ग्राम संवासकाछड़ा तहसील खण्डार की राजस्व सीमा में स्थित है। नकल जमाबंदी प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है।

- यह कि प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने एवं कृषि यंत्र ट्रेक्टर वगैरा लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 796/174 की उत्तरी मेड़ से गुजर कर प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात के खेतों पर पहुंचता है। उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खेतों पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) की अनुज्ञा के लिए आवेदन है।

- यह कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 मृतक [illegible] वारीसान है उनकी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर [illegible] ग्राम गोठबिहारी में स्थित है जिसको वर्तमान में प्रतिवादी सं0 6 व 7 ही काश्त कर रहें है। इसलिए [illegible] अप्रार्थी सं0 6 व 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया [illegible] जो उक्त आराजी में होकर [illegible]गण को अपने खेतों पर निकलने नहीं दे रहें है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी में आने जाने कृषि यंत्र साधन ट्रेक्टर वगैरा ले जाने हेतु एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 796/174 रकबा 04 बीघा की पूर्व मेड़ के सहारे से गुजर कर वादीगण के खेत खसरा नम्बर 315/19, 316/19, 317/19 कुल रकबा 07 बीघा 02 विस्वा एवं वादी सं0 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 320/19 रकबा 02 बीघा 01 विस्वा पर पहुंचता है। उक्त रास्ते के अलावा वादीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण कृषि यंत्र वगैरा व कृषि उपज को लाने ले जाने के काम में लेते चले आ रहें है, जो 15 फिट चौड़ा है। उक्त रास्ता खसरा नं0 796/174 की उत्तरी मेड़ पर अप्रार्थीगण 6व 7 ने दिनांक 06.08.2022 को सुबह करीबन 10.00 बजे ट्रेक्टर लेकर गये तो प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने जिनके कब्जे में उक्त प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं0 796/174 है, जिन्होने ने प्रार्थीगण का ट्रेक्टर निकलने नहीं दिया जिससे प्रार्थीगण का अपने उपरोक्त खेतों पर आना–जाना बंद हो गया। तथा ऐसी स्थिति में रास्ते के अभाव में वादीगण के उपरोक्त खेत पड़त रहने के कगार पर है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये और फौश गालियाँ देने लगे तथा झगड़ा करने पर आमादा हो गये।

- यह कि प्रार्थीगण खसरा नं0 796/174 की उत्तरी मेड़ में होकर 15 फिट रास्ता प्रार्थीगण के खेतों तक का रास्ता देने की प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत कर रहें है।

- यह कि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.08,2022 को उक्त रास्ता 15 फिट जो खसरा नम्बर 796/174 की उत्तरी मेड़ के सहारे से गुजर कर प्रार्थीगण के खेतों की और जा रहा था, जिसे अप्रार्थीगण सं0 6 व 7 ने दिनांक 06.08.2022 को बंद करने व उक्त रास्ते में होकर प्रार्थीगण को नहीं निकलने देने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।

- यह कि वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

- यह कि वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

- यह कि दावा प्रार्थीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे –

  (क) यह कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित वाके ग्राम गोलबिहारी में स्थित खेतों पर आने जाने का रास्ता खसरा नं0 796/174 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का अवरोध पैदा न तो स्वयं करे ना ही दीगर से करावें।

  (ख) यह है कि घोषणा इस अमर की फ[illegible]वे कि खसरा नम्बर 796/174 की उत्तरी मेड़ के सहारे से [illegible] तक 15 फीट चौड़ा रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड में डी.एल.सी. रेट [illegible]

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया ज[illegible]र अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

3. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार खण्डार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खण्डार ने जरिये पत्र दिनांक 09.01.2023 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। रास्ते के अभाव में खेत खाली रहते है। प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये निकटतम् रास्ता खसरा नम्बर 796/174 वांके ग्राम संवासकाछड़ा की उत्तरी मेड़ से प्रस्तावित किया गया है।

4. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की खातेदारी आ.न. 315/19, 316/19, 317/19 व 320/19 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के खेत खाली रहते है। खसरा नं. 796/174 वांके ग्राम संवासकाछड़ा की उत्तरी मेड़ से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया गया। इस कारण से प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु उक्त रास्ता को दर्ज रिकोर्ड करवाने की आंत्यातिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करे रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

5. वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 315/19, 316/19, 317/19 व 320/19 में आने जाने हेतु ख. न. 796/174 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 315/19, 316/19, 317/19 व 320/19 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है एवं प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु आराजी सं. 796/174 की उत्तर मेड के साथ 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 315/19, 316/19, 317/19 व 320/19 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और ग्राम संवासकाछड़ा पटवार हल्का गोठबिहारी तह. खण्डार में आ. न. 315/19, 316/19, 317/19 व 320/19 में आने जाने के लिये आ. न. 796/174 की उत्तर मेड से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 796/174 में से रास्ता देने पर लम्बाई 150 फीट एवं चौड़ाई 15 फीट = कुल 2250 वर्गफीट भूमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 796/174 में रास्ते से प्रभावित रकबा 2250 वर्गफीट की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से प्रतिकर देय है, प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के खाते में राशि 8837/– रूपये जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:24 IST
Reason: SelfAttested